सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 321 राँची, शुक्रवार, 29 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 19 जून, 2026 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 मई, 2026

विषय: गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड (State Supervisory Board) का पुनर्गठन।

पत्रांक-9/RCH-233/2020-152(HSH)-- गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 16 (A) एवं 16 (A) (2) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में झारखण्ड राज्य हेतु राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड (State Supervisory Board) का पुनर्गठन निम्न अनुसार होगा:-

1.	माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड (पदेन)	-	**अध्यक्ष**
2.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड (पदेन)	-	**उपाध्यक्ष**
3.	अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड (पदेन)	-	**सदस्य सचिव**
4.	प्रधान सचिव / सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (पदेन)	-	**सदस्य**
5.	सचिव, विधि विभाग (पदेन)	-	**सदस्य**

6.	श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्य विधान सभा	-	**सदस्य**
7.	श्रीमती श्वेता सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा	-	**सदस्य**
8.	श्रीमती लुईस मरांडी, माननीय सदस्य विधान सभा	-	**सदस्य**
9.	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड (पदेन)	-	**सदस्य**
10.	निदेशक, आयुष, झारखण्ड (पदेन)	-	**सदस्य**
11.	डॉ विनोद नारायण, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, राँची विश्वविद्यालय	-	**सदस्य**
12.	सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) (पदेन)	-	**सदस्य**
13.	विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग रिम्स (पदेन)	-	**सदस्य**
14.	डॉ० मुशर्रफ यमानी, राजकीय टीकाौषधि संस्थान	-	**सदस्य**
15.	डॉ० कमल कुमार जायसवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ	-	**सदस्य**
16.	डॉ० अनुपा प्रसाद, जेनेटिक एवं जीनोमिक्स विभाग, रिम्स	-	**सदस्य**
17.	विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी विभाग, रिम्स (पदेन)	-	**सदस्य**
18.	डॉ० जियाउर रहमान, रेडियोलॉजिस्ट, राँची	-	**सदस्य**
19.	डॉ० सुलोचना कुमारी, आत्म सम्मान फाउन्डेशन	-	**सदस्य**
20.	रुबीनाज़, नव जागृति समिति, देवघर	-	**सदस्य**

यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

धारा 16 (A)(4) के अनुसार, पदेन (Ex-Officio) सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होकर तीन (03) वर्षों का होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार
कल्याण विभाग ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 321 - 50